न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

निर्णय द्वारा अध्यासित आनन्दी आई.ए.एस

प्रकरण संख्या **119/2014** अपील (राजस्व)

श्रीमती जमना पुत्री हीरापुरी गुसाई, निवासी धनेरियागढ, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमंद (राज.)

—— अपीलान्ट

बनाम

1. पटवारी हल्का साकरोदा, तहसील मावली जिला उदयपुर
2. भू–अभिलेख निरीक्षक अधिकारी मावली, तहसील मावली जिला उदयपुर
3. श्रीमान तहसीलदार मावली एवं सह प्रभारी प्रशासन गांवों के संग अभियान 2010 तहसील मावली जिला उदयपुर
4. सरपंच ग्राम पंचायत साकरोदा, तहसील मावली जिला उदयपुर प्रभुलाल गुर्जर
5. चेनपुरी पिता हीरापुरी गुसाई, निवासी धनेरियागढ, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमंद (राज.)
6. माधोपुरी पिता हीरापुरी के बजायः–

(6/1) श्रीमती देऊबाई पत्नी स्व. माधोपुरी निवासी धनेरियागढ, तहसील रेलमगरा,

(6/2) कैलाशपुरी मुतबन्ना माधोपुरी निवासी धनेरियागढ, तहसील रेलमगरा,

7. प्यारपुरी पिता हीरापुरी गुसाई, निवासी धनेरियागढ, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमंद (राज.)

—— रेस्पोडेन्टगण

अपील नामान्तरकरण संख्या 991 दिनांक 29.12.2010 तहसीलदार मावली अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :
1. श्री पुरूषोत्तम पुरी गोस्वामी, अधिवक्ता अपीलान्ट
2. श्री सम्पतलाल बोहरा, अधिवक्ता वि.सं. 5 व 7
3. श्री अजय सिंह हाडा, अधिवक्ता वि.सं. 4
4. श्री देवेन्द्र चौधरी, अधिवक्ता वि.सं. 6/1, 6/2

निर्णय

दिनांकः– 14.01.2020

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा एक अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि

अपने अपील मेमो के साथ में एक प्रार्थनापत्र मयाद कण्डोन कराये जाने का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट को अपीलीय नामान्तकरण की जानकारी दिनांक 22.02.16 को प्रथम बार हुई। जब पटवारी हल्का से उक्त जमीन के खाते की नकल लेने गये तो पटवारी साहब ने बताया कि यह जमीन तो आपके खाते दर्ज नहीं हुई है। उसी समय म्यूटेशन की नकल लेने हेतु प्रार्थनापत्र पेश किया तथा नकल दिनांक 25.02.16 को प्राप्त हुई। प्रार्थी अपील पेश करने वाली ही थी कि दिनांक 20.03.16 से टाईफाइड व पिलिया की बिमारी से ग्रसित हो जाने से अपील पेश नहीं की गई। न्यायहित में दिनांक 20.01.1988 से दिनांक 25.02.2016 तक का समय कण्डोन कराया जाना आवश्यक है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया।

प्रकरण में उपस्थित अधिवक्ता अपीलान्ट को सुना गया। जिनके द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि

प्रकरण में उपस्थित अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस सुनी गई। प्रस्तुत नजीरों का ससम्मान अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का विस्तृत अध्ययन किया गया। बहस पर मनन करने के उपरान्त न्यायालय का मत है कि

अतः अपील अपीलान्ट साबित होने से स्वीकार की जाती है। नामान्तकरण सं. 29 दिनांक 20.01.1988 ग्राम आयड तहसील गिर्वा का निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार गिर्वा को इस आशय के निर्देश के साथ पुनः प्रतिप्रेषित किया जाता है कि स्व.चुन्नीलाल पिता अम्बालाल जी ब्राहम्ण निवासी

आयड़ के सही विधिक वारिसानों की जांच कर बाद पहचान नये सिरे से पुनः नियमानुसार नामान्तरकरण स्वीकृत करने की कार्यवाही सम्पादित करें।

निर्णय की प्रति तहसीलदार गिर्वा को वास्ते आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाकर पत्रावली फैसल शुमार हों। बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।

(आनन्दी)
जिला कलक्टर
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anandhi Palaniswamy
Date: 2020.03.17 11:45:03 IST
Reason: SelfAttested
Location: